भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण और बीमाकर्ताओं के संबद्ध विषय) विनियम, 2024

Exposure Draft of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Protection of Policyholders' Interests and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024

1. आईआरडीएआई द्वारा की जा रही विनियमों की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में, यह सुनिश्चित करते हुए भी कि पालिसीधारकों के हितों का निरंतर संरक्षण किया जाए, व्यवसाय की सुगमता को बढ़ाने और हितधारकों के लिए अनुपालन का भार घटाने के लिए भी, बीमा परिषदों से कहा गया था कि वे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। परिषदों ने विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया जिसने पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए तथा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने से संबद्ध विषयों, जैसे प्रीमियम की प्राप्ति की पद्धति, पालिसियों का नामांकन और समनुदेशन, बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण, व्यवसाय के स्थान खोलने आदि के संबंध में एकीकृत विनियम की सिफारिश की। आगे और किये गये विचार-विमर्श का अनुसरण करते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण और बीमाकर्ताओं के संबद्ध विषय) विनियम, 2024 जारी करने का प्रस्ताव है जो निम्नलिखित विनियमों के उपबंधों का समन्वय करता हैः

   As part of the comprehensive review of Regulations being undertaken by the IRDAI, to enhance the ease of doing business and also reduce compliance burden for stakeholders while also ensuring that interests of policyholders continues to be protected, Insurance Councils were asked to submit their recommendations. Councils constituted the Regulations Review Committee (RRC) which recommended unified Regulation on Protection of Policyholders' Interests and Allied matters of Insurers to protect the interest of policyholders and allied matters such as manner of receipt of the premium, nomination and assignment of the policies, Insurance Advertisements and Disclosure, opening of places of business etc. Following further deliberation draft Insurance Regulatory and Development Authority of India (Protection of Policyholders' Interests and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024 is proposed to be issued which consolidates the provisions of the following regulations:

   (i) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रीमियम प्राप्त करने की पद्धति) विनियम, 2002;
   The Insurance Regulatory and Development Authority (Manner of Receipt of Premium) Regulations, 2002;

   (ii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015;
   The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Places of Business) Regulations, 2015;

   (iii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नामांकन के निरसन को पंजीकृत करने अथवा नामांकन में परिवर्तन के लिए शुल्क) विनियम, 2015;
   The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for registering cancellation or change of nomination) Regulations 2015;

   (iv) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समनुदेशन या अंतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015;
   The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Fee for granting written acknowledgement of receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015;

(v) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016;
The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016;

(vi) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017;
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017;

(vii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017;
The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017;

(viii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021
The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021.

2. आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण और बीमाकर्ताओं के संबद्ध विषय) विनियम, 2024 संबंधी प्रारूप इसके साथ संलग्न है। उक्त प्रारूप में प्रस्तावित कुछ बड़े परिवर्तन निम्नलिखित हैं:
The draft on IRDAI (**Protection of Policyholders' Interests and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024** is annexed herewith. The following are some of the major changes proposed in the draft:

(i) यह मोटे तौर पर निम्नलिखित दो भागों में विभाजित है:
It is broadly divided into the following two parts:

क) **भाग क** में पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण से संबंधित उपबंध शामिल हैं;
a) **Part A** covers provisions relating to protection of the interest of the policyholders;
ख) **भाग ख** में बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध विषयों से संबधित उपबंध शामिल हैं।
b) **Part B** covers provisions relating to Operation and allied matters of the insurers.

(ii) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण / Protection of interest of policyholders:

क. निःशुल्क अवलोकन अवधिः किसी भी पद्धति के द्वारा प्राप्त, पालिसियों के लिए उक्त निःशुल्क अवलोकन अवधि पालिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन होगी।
a. Free Look Period: The free look period for the policies, obtained through any mode, shall be 30 days from the date of receipt of the policy document.
ख. धन-वापसी के इलेक्ट्रानिक अंतरण और दावों के भुगतानों को समर्थ बनाने के लिए बीमाकर्ता को चाहिए कि प्रस्ताव के स्तर पर बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण प्राप्त करे।
b. In order to enable electronic transfer of refund and for payments the claims, insurer to collect the details of bank accounts of insured at the proposal stage;
ग. कोई भी जीवन बीमा पालिसी तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक नामांकन प्राप्त नहीं किया जाता।
c. No policy in case of life insurance shall be issued unless nomination is obtained.

घ. जहाँ भी लागू है वहाँ साधारण और स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में नामांकन के उपबंध सन्निविष्ट किये गये हैं।

d. Nomination provisions relating to general, wherever applicable and health insurance policies introduced.

ङ. निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाली बीमा पालिसियाँ इलेक्ट्रानिक रूप में जारी करनी होंगी।

e. Insurance policies meeting the defined criteria to be issued in Electronic form.

(iii) विज्ञापन: प्राधिकरण के पास विज्ञापन फाइल करने की अपेक्षा समाप्त की गई है;
Advertisement: The requirement of filing of advertisement with the Authority has been dispensed with;

(iv) व्यवसाय के स्थान खोलना / Opening of place of business:

क. विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए पूर्व-अनुमोदन लेने की कोई अपेक्षा नहीं है;

a. no prior approval requirement for insurers meeting the specified criteria;

ख. विनिर्दिष्ट शोधन-क्षमता अनुपात, 5 वर्षों में से 3 वर्षों में लाभप्रदता तथा संतोषजनक पिछले रिकार्ड से युक्त बीमाकर्ता अब आईएफएससीए में विदशी शाखा खोल सकता है।

b. An insurer having specified solvency ratio, profitability in 3 years out of 5 years and having satisfactory track record can now open foreign branch including office at IFSCA.

ग. विदेशी शाखा कार्यालय के लिए विनिर्दिष्ट विवरणियाँ समाप्त की गई हैं।

c. The returns specified for foreign branch office are dispensed with.

(v) बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) / Outsourcing:

क. रिपोर्टिंग की अपेक्षाः बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) की रिपोर्टिंग करने की वर्तमान आवश्यकता समाप्त की गई है। बीमाकर्ताओँ से अपेक्षित है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण करें।

a. Reporting Requirement: the existing requirement of reporting of outsourcing is dispensed with. Insurers are required to make necessary disclosures in this regard in its annual report.

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित विनियमों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, संलग्न फार्मेट **(अनुबंध-क)** में 4 मार्च, 2024 को अपराह्न 5:00 बजे अथवा उससे पहले सुश्री स्पन्दना वी., प्रबंधक को spandana.v@irdai.gov.in पर अग्रेषित करें तथा उसकी एक प्रति श्री के. श्रीधर, उप महाप्रबंधक को sridhar@irdai.gov.in पर भेजें।
All the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations in the attached format **(Annexure- A)** on or before 5:00 PM on 4th March, 2024 to Ms. Spandana V, Manager at **spandana.v@irdai.gov.in with a copy to** Shri K Sridhar, DGM at sridhar@irdai.gov.in

(आर के शर्मा / R K Sharma)
मुख्य महाप्रबंधक (पीपीजीआर) / CGM (PPGR)